न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/261

ओमप्यारी बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी श्री केसरी लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज श्री मोती लाल जाति लश्करी मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती सुमित्रा बाई बेवा बाबूलाल ।
   1/2. श्रीमती सुगना बाई बेवा बाबूलाल ।
   1/3. मनीष पुत्र स्व0 बाबूलाल ।
   1/4. राकेश पुत्र स्व0 बाबूलाल ।
   1/5. मोना पुत्री स्व0 बाबूलाल जाति लश्करी निवासीगण माता जी के चबूतरे के पास ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हरिओम आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी ।
3. कुंज बिहारी आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी ।
4. ओम प्रकाश आत्मज श्री जगन्नाथ जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रूकमणी पत्नी श्री कालूलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. कमला बाई पत्नी श्री कन्हैया लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. राजवन्ती बाई पत्नी श्री श्यामसुन्दर जाति लश्करी निवासी केशोपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. चतरी बाई बेवा जगन्नाथ जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 270 की 1.49 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादिनी के पिता एवं चाचा जगन्नाथ जी के खाते में संयुक्त दर्ज थी । मोती लाल जी की एक मात्र जथन्दा पुत्री वादिनी स्वयं है । मोती लाल के कोई पुत्र नहीं था इस कारण मोती लाल जी ने प्रतिवादी कम 1 को गोदपुत्र रख लिया । उक्त भूमि में वादिनी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/4 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादिनी का नाम हटावा दिया गया है । प्रतिवादीगण कम 1 ने उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली । प्रतिवादीगण कम 1 से 9 ने आपसी षडयंत्र रचकर आपस में वादग्रस्त आराजी का बंटवारा इंतकाल नम्बर 459 राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तस्दीक करवा लिया । वादिनी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त आराजी में अपना हिस्सा घोषित करवाए तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादिनी का वाद डिक्री किया जाकर वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा इंतकाल नम्बर 10, 231 एंव 459 को अवैध मानकर अमान्य घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए पृथक से कब्जा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादिनी ने उक्त वाद में वादग्रस्त आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए हक घोषणा की प्रार्थना की है । वादिनी एवं उसकी माता ने प्रतिवादीगण जगन्नाथ एवं बाबूलाल के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय में वाद हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का दिनांक 30.09.1999 को प्रस्तुत किया जिसे वादिनी ने स्वेच्छा से दिनांक 19.01.2002 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवा लिया । पूर्व वाद व दावे में विषयवस्तु, पक्षकारान समान हैं तथा वादकारण भी एक ही है । ऐसी स्थिति में वादिनी द्वारा प्रस्तुत नया वाद आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के अन्तर्गत वर्जित है और खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.04.2016 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर वादिनी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि कानूनन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत कोई भी पश्चातवर्ती वाद तब ही वर्जित है जब पूर्व वाद आवाज पडने पर प्रतिवादी के उपस्थित रहने किन्तु वादीगण के अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ हो किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व वाद संख्या 746/2001 की आदेशिका दिनांक 19.01.2002 के अवलोकन से यह भलीभांति स्पष्ट है कि अपीलान्ट व उसकी माता कस्तूरी बाई द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में दिनांक 19.01.2002 को वादीगण व प्रतिवादीगण दोनों के ही उपस्थित न होने से वादीगण व प्रतिवादी की अनुपस्थिति दर्ज कर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिसके कारण वादिनी को अपने हक व अधिकारों की घोषणा हेतु नया वाद पेश करने का अधिकार है । कानूनन आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल वादी के वादपत्र की प्रकथनों व सार को ही देख जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत विचारण करते समय प्रतिवादी की प्रतिरक्षा को तनिक भी काम में नहीं लिया जा सकता और न ही प्रस्तुत दस्तावेजत देख जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है वह उसकी प्रतिरक्षा है जिसके आधार पर वादिनी का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है जो कानूनी प्रकिया को नहीं समझती है । अपीलान्ट के अधिवक्ता महोदय ने कह रखा था कि अपीलान्ट को हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी बुलवा लेंगे जिसके कारण अपीलान्ट अपने अभिभाषक से सम्पर्क नही कर सकी । अपीलान्ट अभी दिनाक 04.05.2017 को जब अपने अभिभाषक से मिली तब उनके द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के बारे में बताया जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिनी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व विभाजन का पेश किया था और कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी में वादिनी के पिता मोती लाल जी का 1/2 हिस्सा व चाचा जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा निहित रहा है । वादिनी अपीलान्ट के पिता मोती लाल जी के कोई पुत्र नहीं था इस कारण उन्होंने प्रतिवादी कम 1 को गोद पुत्र रख लिया । वादिनी अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में निहित उनका 1/2 हिस्सा आराजी उनकी बेवा कस्तूरी व गोदपुत्र

बाबूलाल के साथ–साथ उनकी पुत्री वादिनी को प्राप्त हुआ किन्तु प्रतिवादी कम 1 ने गलत तरीके से उक्त भूमि को स्वयं व कस्तूरी बाई के नाम दर्ज करवाया लिया जबकि उक्त भूमि में वादिनी का हक हिस्सा निहित है । वादिनी 1/4 हिस्से के खातेदार घोषित होने की अधिकारी है । प्रतिवादी कम 1 ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया और कथन किया कि वादिनी व उसकी माता कस्तूरी बाई द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में एक वाद संख्या 746/2001 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 19.01.2002 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसके कारण वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त नया वाद आदेश 09 सीपीसी के तहत वर्जित है । वादिनी अपीलान्ट के विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी कम 1 के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि वादिनी की माता के गंभीर बीमार होने के कारण दोनों के न्यायालय में उपस्थित न होने से उक्त वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ था जिसके कारण वर्तमान वाद कानूनन बाधित नहीं है । अपीलान्ट का वाद आदेश 09 नियम 09 सीपीसी से बाधित नहीं है क्योंकि पूर्व वाद अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । उक्त वाद आदेश 09 नियम 09 सीपीसी और धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से किसी प्रकार बाधित नहीं है । आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का बिन्दु तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है जो तनकीयात कायम कर साक्ष्य से तय किया जा सकता है । दावा धारा 207 के तहत किसी भी रूप में वर्जित नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एंव विभाजन का पेश किया था जिसमें प्रतिवादी कम 1 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और यह कथन किया गया है कि पूर्व में एक दावा पेश किया गया था जिसका प्रकरएण संख्या 746/1 है उनवान कस्तूरी, ओमप्यारी बनाम जगन्नाथ था । उक्त प्रकरण दिनांक 19.01.2002 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था । पूर्व वाद एवं इस बाद की विषयवस्तु, पक्षकारान समान हैं तथा वाद कारण भी एक ही है एसी स्थिति में वादिनी द्वारा प्रस्तुत नया वाद आदेश 09 सीपीसी के अन्तर्गत वर्जित है ।

13. पूर्व में जो दावा खारिज हुआ है उसकी आदेशिका का अवलोकन किया गया । आदेशिका दिनांक 19.01.2002 के अनुार वकील वादी अनुपस्थित/वादी अनुपस्थित व प्रतिवादी भी अनुपस्थित हैं । दोनों उपस्थित नहीं हुए अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । सीपीसी के आदेश 09 नियम 3 के अनुसार जब दोनों पक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय दावा को खारिज कर सकता है और आदेश 09 नियम 4 के अनुसार जब दावा आदेश 2 एवं 3 के तहत खारिज होता है तो वादी नया वाद ला सकता है ओर आदेश 09 नियम 08 के अनुसार वादी अनुपस्थित है और प्रतिवादी उपस्थित है तो

आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत नया वाद नहीं लाया जा सकता । इस प्रकार यह दावा आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के तहत वर्जित नहीं है ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । यदि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी दावे की मेन्टेनेबिलिटी पर आपत्ति करते हैं तो जवाबदावे में आपत्ति कर सकते हैं जिसके आधार पर तनकी कायम की जा सकती है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज करके अधीनस्थ न्यायालय में त्रुटि की है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.04.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा